उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ,

कैम्पस :राजकीय पालीटेकनिक पित्थूवाला देहरादून

आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड में आबाकारी सिपाही भर्ती सम्बन्धी विज्ञापन में संशोधन की सूचना

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की के द्वारा आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड में आबाकारी सिपाही भर्ती सम्बन्धी विज्ञापन संख्या 3–11/राज्य समूह ग भर्ती/आ0वि0/3 /2011–12 दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। उक्त भर्ती हेतु ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र डाकघरों में उपलब्ध हैं। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में आवश्यक निर्देश के बिन्दु–3 में ''लिखित परीक्षा के पश्चात् टाइपिंग परीक्षा/वाहन चालन परीक्षा के दौरान मूल प्रमाण पत्रों की जॉच की जायेगी'' के स्थान पर ''**लिखित परीक्षा के पश्चात् मूल प्रमाण पत्रों की जॉच की जायेगी**'' पढ़ा जाय।

साथ ही आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 5170/अधि0एक0–294/भर्ती–आ0सि0/2010–11 दिनांक 24 जनवरी 2012 के क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा से पूर्व यथासूचित समय व स्थान पर गढ़वाल मण्डल के जनपदों के आवेदकों की हरिद्वार में व कुमायूँ मण्डल के जनपदों के आवेदकों की रूद्रपुर में शारीरिक परीक्षा ली जायेगी, जिसमें उत्तीर्ण आवेदकों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि** दिनांक 28 फरवरी 2012 से बढ़ाकर **दिनांक 15 मार्च 2012** निर्धारित की जाती है। शेष शर्तें विज्ञापन के अनुसार पूर्ववत रहेंगी। विस्तृत विज्ञापन परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर उपलब्ध है।

संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)–247667

विज्ञापन संख्याः तीन–11/राज्य समूह 'ग' भर्ती/आ0वि0/03/2011–12

आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा–2011

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि : दिसम्बर 23, 2011

निर्धारित डाकघरों से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथिः **10 जनवरी 2012 से 28 फरवरी 2012**

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि : 28 फरवरी 2012

विस्तृत विज्ञापन परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर भी देखा जा सकता है।

कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1083/XXX(2)/2010 दिनांक 3–8–2010 द्वारा राज्याधीन विभागों में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की को 'चयन संस्था' घोषित किया गया है। अतः 'उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्' द्वारा भर्ती अभियान में आबकारी विभाग द्वारा आबकारी सिपाही के पद (जिनमें रोस्टर एवं बैकलॉग के पद भी सम्मिलित हैं) अधियाचित किये गये हैं, जिस हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से **ओ.एम.आर. आवेदन पत्र** आमंत्रित किये जाते हैं। विभिन्न प्रमाण–पत्रों के प्रारूप परिषद की वेबसाइड ubter.in पर उपलब्ध है। इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में अभ्यर्थियों की यथाआवश्यक संख्या के आधार पर किसी एक जनपद अथवा एक से अधिक जनपदों में लिखित एवं शारीरिक (जैसा विहीत हो) परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को समाचार–पत्र के माध्यम से दी जायेगी। साथ ही शारीरिक/लिखित परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केन्द्र का नाम, अनुक्रमांक, आवेदित पद इत्यादि आवश्यक सूचना परिषद् द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा दी जायेगीः–

1. रिक्तियों की संख्याः

विभाग कोड	विभाग का नाम	पद कोड	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	रिक्तियों का विवरण				
						GEN	OBC	SC	ST	योग
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड	01	आबकारी सिपाही	5200-20200	1800	91	23	34	-	148

नोटः रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. अनिवार्य/वांछनीय तथा अधिमानी अर्हताः (एक) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के किसी पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

(दो) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के किसी पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा। (कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन अधिसूचना सं0–1840/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 08–12–2010)

(तीन) निर्धारित अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक तथा अधिमानी अर्हताएं :–

1. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया है,

3. राष्ट्रीयताः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो; (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या होना चाहिए या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया होः

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

4. चरित्रः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

5. वैवाहिक प्रास्थितिः सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी होः

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

6. शारीरिक स्वस्थताः किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व अभ्यर्थी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–एक भाग–दो के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

आबकारी सिपाही हेतु आवश्यक शारीरिक अर्हता :–

(एक)

सीने की माप (पुरूषों के लिए)	बिना फुलाये	फुलाने पर
पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	78.8 से0मी0	83.8 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	76.3 से0मी0	81.3 से0मी0

(दो)ऊँचाई (पुरूषों के लिए)

पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	167.6 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए	162.6 से0मी0
उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	160.00 से0मी0

(तीन)ऊँचाई (महिलाओं के लिए)

पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	152.00 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए	147.00 से0मी0
उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	147.00 से0मी0

(चार)

शारीरिक वजन (महिलाओं के लिए)	45 कि0ग्राम न्यूनतम

उक्त शारीरिक अर्हताएं धारक ही चयन होने पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

7. पेंशनः शासन की अधिसूचना संख्याः 21/XXVII(7) अं0पे0यो0/2005 दि015 अक्टूबर 2005 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के पेंशन के सम्बन्ध में **"अंशदान पेंशन योजना"** के प्राविधान लागू होंगे।

8. आरक्षणः (1) **ऊर्ध्व आरक्षणः–** उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। (शा0सं0–1144 / कार्मिक–2–2001–53(1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शा0सं0–254 / कार्मिक–2 / 2002, दि0 10 अक्टूबर, 2002)

(2) **क्षैतिज आरक्षणः– (क)** उत्तराखण्ड के **विशिष्ट खिलाड़ी**, उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** तथा उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (यथा संशोधित)–अधि0सं0:133/XXXVI(3)/2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च 2009 के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

(i) ''पूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो– (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः– पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के **(एक)** पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) **(दो)** पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ख) उत्तराखण्ड के **विशिष्ट खिलाड़ियों** के लिए क्षैतिज आरक्षण शा0सं0:2461/XXX(2)/2006 दिनांक 06 अक्टूबर 2006 व शा0सं0:136/XXX(2)/2009 दि0 27 फरवरी 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। **मान्यता प्राप्त खेल एवं मान्य खिलाड़ियों के वर्गीकरण की सूची उक्त शासनादेश से अवलोकित करने के पश्चात ही इस श्रेणी में अपने आरक्षण का दावा करें।**

(ग) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शा0सं0–1144 / कार्मिक–2–2001–53(1) / 2001 दि0 18 जुलाई 2001, शा0सं0–589 / कार्मिक–2 / 2002 दि021 जुलाई 2002 तथा शा0सं0–1966/XXX(2)/2006 दि0 24 जुलाई 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(घ) शासनादेश संख्या–1270 / तीस–2 / 2004 दि0 11 अगस्त 2001 एवं शा0सं0–637/XX(4)-26/उ0आन्दो0 / 2006 दि0 13.08.2010 के अनुसार **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन** के चिन्हित सभी आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 05 प्रतिशत का अधिमान दिया जायेगा तथा शा0सं0–776/XX(4)-26/उ0आन्दो0 / 2006-08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर 2008, शा0सं0–776/XX(4)-26/उ0आन्दो0 / 2006-08(गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर 2008 के प्राविधानों के अनुसार 10 अगस्त 2011 तक 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी।

शासनादेश संख्या–4020 / XX(4)-7/उ0आन्दो0 / 2006 दि0 08 नवम्बर 2006 एवं शासनादेश संख्या–777 / बीस–4 / 26 / उ0आ0 / 2006–08 दि0 22–10–2008 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन** के चिन्हित सभी आन्दोलनकारियों की निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारी के परिवार के एक व्यक्ति जो आन्दोलनकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हों, को राजकीय सेवा में शा0सं0–1270 / तीस–2 / 2004 दि0 11 अगस्त 2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगाः–

(1) वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं हैं।

(2) ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम हैं।

(3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ–पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभाग / प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

उक्त श्रेणी में चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित हैं, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे:–

(1) पत्नी (2) आश्रित पुत्र (3) अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां।

नोटः– (1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(3) **यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।**

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के **परिशिष्ट–1** में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे परिषद्/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख परिशिष्ट–1 में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो तो वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी के पुष्टि व अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर ही प्रस्तुत किया जाय।

9. आयु सीमा : (पुरूष एवं महिला हेतु)

(क) **दिनांक 01.07.2011 (एक जुलाई दो हजार ग्यारह) को**

(अ) सामान्य वर्ग के लिए	–	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष।
(ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए	–	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष

(ख) **उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्या 1244/ XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई 2005)।

(ग) उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिक** को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये यह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है, को उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (नियमावली 1977 के अनुसार)।

(घ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के उत्तराखण्ड के **कुशल खिलाड़ियों** के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ड.) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित सभी आंदोलनकारियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष होगी। (शा0सं0–1270/तीस–2/2004 दि011 अगस्त 2004, शा0सं0:776/XX(4)-26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर 2008), शा0सं0:777/XX(4)-26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4) दि0 22 अक्टूबर 2008) तथा शा0सं0:637/XX(4)-26/उ0आन्दो0/2006/09 (गृह अनुभाग–4) दि0 13 अगस्त 2010)।

नोटः– जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे नियुक्ति प्राधिकारी/परिषद् को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी अवश्य प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उच्चतम् आयु सीमा मे छूट अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

10. ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र शुल्क : ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र के मूल्य में प्रवेश पत्र शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रश्नपुस्तिका एवं ओ0एम0आर0 उत्तर शीट का मूल्य, उत्तर ओ0एम0आर0 शीट की स्कैनिंग प्रणाली द्वारा मूल्यांकन, परीक्षा संचालन व्यय, स्पीड पोस्ट से प्रवेश पत्र भेजने हेतु डाक व्यय इत्यादि व्यय सम्मिलित हैं :–

(i) अनारक्षित (सामान्य)/उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र शुल्क रू0 500.00 प्रति आवेदन पत्र।

(ii) उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ओ.एम.आर. आवेदन–पत्र शुल्क रू0 300.00 प्रति आवेदन पत्र।

क्र0सं0	**जनपद**	**डाकघर का नाम जहाँ ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।**
1	देहरादून	डाकपत्थर, देहरादून (जीपीओ), विकासनगर, चकराता, ऋषिकेश, मसूरी
2.	हरिद्वार	हरिद्वार (मुख्य डाकघर), रूड़की (मुख्य डाकघर), लक्सर
3.	टिहरी	नरेन्द्रनगर, नई टिहरी
4	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी (मुख्य डाकघर), बड़कोट, पुरोला
5.	गढ़वाल	पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर
6.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग, अगस्तमुनि
7.	चमोली	जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर(मुख्य डाकघर), गैरसैण
8.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट
9.	चम्पावत	चम्पावत(मुख्य डाकघर), लोहाघाट, टनकपुर।
10.	नैनीताल	हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर
11.	ऊधमसिंह नगर	काशीपुर, रूद्रपुर, खटीमा
12.	बागेश्वर	बागेश्वर (मुख्य डाकघर), कपकोट, गरूड़
13.	पिथौरागढ़	डीडीहाट, मुन्सियारी, पिथौरागढ़

11. चयन परीक्षा तथा प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रमः (एक) पात्र अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षण परीक्षा दौड़, लम्बी कूद एवं क्रिकेट बॉल थ्रो को मिलाकर साठ अंकों की होगी। इस शारीरिक परीक्षा के लिये मदवार अंक निम्नलिखित रीति में प्रदान किये जायेंगे।

पुरूष अभ्यर्थी के लिये		
(क) दौड कुल दूरी	समय(मिनट) में	प्रदान किये जाने वाले अंक
(क)4.8 किमी0(3 मील)	30	12
	27	15
	24	18
	21	20
(ख) लम्बी कूद	दूरी(फिट में)	प्रदान किये जाने वाले अंक
	15	12
	17	16
	18	20
(ग)क्रिकेट बॉल थ्रो	दूरी(मीटर में)	प्रदान किये जाने वाले अंक
	61	12
	63	16
	65	20
महिला अभ्यार्थियों के लिये		
(क) दौड कुल दूरी	समय सेकेण्ड में	प्रदान किये जाने वाले अंक
(क)200 मीटर	52 सेकेण्ड	12
	50 सेकेण्ड	15
	48 सेकेण्ड	18
	46 सेकेण्ड	20
(ख) लम्बी कूद	दूरी(फुट में)	प्रदान किये जाने वाले अंक
	8 फुट	12
	9.5 फुट	16
	10	20
(ग)क्रिकेट बॉल थ्रो	दूरी(मीटर में)	प्रदान किये जाने वाले अंक
	12 मीटर	12
	13 मीटर	16
	14 मीटर	20

(दो) शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की 100 अंकों की लिखित परीक्षा ली जायेगी।

(तीन) पदों हेतु चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ज्ञान पर आधारित कुल 100 प्रश्न होंगे।

लिखित परीक्षा दो घण्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट तथा उत्तर शीट की कार्बन प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in पर प्रदर्शित की जायेगी।

कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1420/xxx(2)/2011 दिनांक 13 दिसम्बर 2011 के अनुपालन में लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा।

अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने संबंधी अति महत्वपूर्ण निर्देशः–

(1) परिषद् अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं तथा वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्तें पूरी करते हैं। लिखित परीक्षा पाठ्य सामग्री का संक्षिप्त विवरण बिन्दु 11 में उल्लिखित है। ऐसे अभ्यर्थी जो सम्बन्धित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता के परीक्षाफल विज्ञापन की तिथि से पूर्व धारित करते हों, वे अभ्यर्थी ही उक्त पदों के लिए आवेदन करें।

(2) अभ्यर्थी आवेदन पत्र स्वच्छ एवं पठनीय हस्तलिपि से भरें। साथ ही आवेदनपत्र की छाया प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें। **सूचित किया जाता है कि ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की छायाप्रति प्रदान करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(3) अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का उल्लेख ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा नहीं किये जाने की दशा में वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(4) आवेदन–पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 28 फरवरी 2012 तक अथवा उसके पूर्व, **सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्,"द्वारा–सीनियर पोस्टमास्टर, जी0पी0ओ0, देहरादून–248001"** के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से अवश्य पहुँच जाने चाहिए। अभ्यर्थी नोट करें कि आवेदन पत्र 9" x 12" साईज के लिफाफे में भेजना है। उक्त अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन–पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(5) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि लिखित/शारीरिक परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा केन्द्र में बैठेंगे, जो उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आवंटित किया गया हो। लिखित/शारीरिक परीक्षा हेतु तिथि तथा केन्द्र की सूचना प्रवेश–पत्र के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा अभ्यर्थी को प्रेषित की जायेगी।

(6) लिखित परीक्षा के प्रश्न–पत्र हिन्दी व अंग्रेजी में होंगे तथा प्रश्नों के उत्तर की भाषा प्रश्न–पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका के अनुदेशों के अनुसार होंगे।

(7) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को सेवानियोजक द्वारा निर्गत **'अनापत्ति प्रमाण–पत्र'** नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी केन्द्र/राज्य सरकार/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत होने का प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(8) अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं हैं।

सभी अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश :–

(1) **समस्त अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित डाकघरों से ही ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त करेंगे। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा।** ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर परिषद् की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(2) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को

पूरा करते हों। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी परिषद् की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(3) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए (जो लागू हों) तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(4) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। समाचार पत्रों की कटिंग पर प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(5) आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में बाद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन का अनुरोध किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।

(6) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा परिषद् के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो परिषद् उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(7)

(8) अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए परिषद् जिम्मेदार नहीं होगा।

(9) **जन्मतिथि** : आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र' में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

(10) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।

(11) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी को चाहे परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं।

(12) अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर ओ0एम0आर0 उत्तर चार्ट पर स्वयं लिखने होंगे।

(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर परिषद् द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर परिषद् द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी भी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(15) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित**:– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(16) **परीक्षा भवन में आचरण** :– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु तैनात स्टॉफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(17) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्यवाही**:– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करे तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी

अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(18) एक अभ्यर्थी जो निम्नलिखित कारणों से परिषद् द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–

(i) यदि वह किसी भी प्रकार से अपने अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करता है, अथवा (ii) नाम बदलकर परीक्षा देता है, अथवा उत्तर पत्रक OMR Sheet/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरता है अथवा (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा (iv) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करता हो जिनमें फेरबदल किया गया हो, अथवा (v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हों या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई हो, अथवा (vi) अपने चयन के लिए अभ्यर्थन हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो, अथवा (vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हो, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, अथवा (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार दुर्व्यहार किया हो, (जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, उत्तर पुस्तिका लेकर कक्ष से भाग जाना ,परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है), अथवा (x) परीक्षा संचालन के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, अथवा (xi) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यन्त्र का प्रयोग करते हुए या उसके पास पाया जाता है, अथवा (xii) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो,

जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे –

(क) परिषद् उस चयन से, जिसका वह अभ्यर्थी है, अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है–

(1) परिषद् द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से, (2) राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से।

(ग) यदि वह सरकार/सरकारी प्रतिष्ठान के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(19) परिषद् से किए जाने सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का नाम, आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(20) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से परिषद् को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(21) निम्नलिखित अभिलेख परिषद् कार्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल/अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र। (ख) अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ स्वप्रमाणित, आवेदन पत्र के निर्धारित फार्मेट पर चिपका हो तथा फोटो के नीचे अभ्यर्थी द्वारा पठनीय हस्ताक्षर भी किए जायें। (ग) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों एवं विशिष्ट खिलाड़ियों के मामले में क्रमशः शासनादेश संख्या–22/21/1983 कार्मिक–2, दिनांक 28 नवम्बर,1985 व शासनादेश संख्याः 2461/XXX (2)/2002, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 तथा शासनादेश संख्या–136/XXX (2)/2009, दिनांक 27.02.2009 के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा। (घ) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप जो परिषद की वेबसाइड ubter.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के पूर्व अर्थात दिनांक 9 नवम्बर 2000 के पूर्व का नहीं बना होना चाहिए।

(ड़) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(22) अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(23) परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की लिखित परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा और परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

(24) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(25) परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश–पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र आवंटन के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(26) **जो अभ्यर्थी कालान्तर में भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और लिखित परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।**

(27) **उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद परिषद् द्वारा अन्तिम चयन के उपरान्त भी यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अथवा अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**

(28) **आवेदन पत्र का अग्रसारण :–** समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी मात्र ओ.एम.आर. आवेदन पत्र **सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ''द्वारा–सीनियर पोस्टमास्टर, जी0पी0ओ0, देहरादून–248001''** के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित करें। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 28 फरवरी 2012 है। उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा।

(29) **परिषद् द्वारा संपादित की जा रही परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन नितान्त औपबन्धिक होगा तथा चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप से संबंधित विभाग द्वारा सम्पन्न किया जायेगा एवं प्रत्येक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी।**

(30) जो अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य के किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों मे ंसेवारत हैं उन्हें नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(31) **अभ्यर्थी भरे हुए ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र एवं स्पीड पोस्ट की रसीद की छायाप्रति अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें। प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परिषद् कार्यालय में उक्त दोनों अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा।**

सचिव।